<u>न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **सत्यनारायण टेलर, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

आपराधिक विविध सं0 : 89/2026

(सीआईएस नं0 166/2026 एवं CNR No. RJBR01000475-2026)

शाकिर अली पुत्र शाबिर अली आयु 38 साल निवासी छबडा थाना छबडा जिला बारां (राज0)

—प्रार्थी/अभियुक्त

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक,बारां (राज0) —अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बीएनएसएस
बसंबंध इस न्यायालय के सेशन प्रकरण सं0 25/2024
राजस्थान राज्य बनाम शाकिर अली
अपराध अन्तर्गत धारा 75, 79, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 व धारा 3/14 बालक एवं कुमार श्रम <u>(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986</u>

उपस्थितः—
1— श्री नरेन्द्र सिंह हाडा, अधिवक्ता—प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2— श्री तेजेन्द्र शर्मा, लोक अभियोजक—राज्य की ओर से।

——:: **<u>आदेश</u>** ::—— दिनांकः 10.03.2026

1— फरियादी श्री प्रकाशचन्द स0उ0नि0 की तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कवाई जिला बारां में एफ0आई0आर0 नं0 131/2023 अन्तर्गत धारा 75, 79, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 व धारा 3/14 बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। समस्त अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त शाकिर अली के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराधों का आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त धाराओं में अभियुक्त के विरूद्ध प्रसाान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर हुआ व प्रकरण में विचारण कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा विचारण के दौरान दिनांक 28.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त वर जमानत अनुपस्थित हो गया जिसके जमानत मुचलके जब्त कर कार्यवाही 446 सीआरपीसी खोली गई तथा प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफतारी वारन्ट से तलब किये जाने का आदेश दिया गया। आज दिनांक 10.03.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त शाकिर अली ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया, प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 75, 79, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 व धारा 3/14 बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986के अपराध के आरोप हैं।

2— जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में उभय पक्ष को सुना गया। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने तर्क दिया कि प्रार्थी बीमार हो जाने से न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 28.01.2026 को उपस्थित नहीं हो सका और उसकी जमानत जब्त कर ली गई। प्रार्थी की उक्त गलती क्षमा योग्य है। प्रार्थी/अभियुक्त की यह अनुपस्थिति

मजबूरीवश है न कि इरादतन। प्रार्थी/अभियुक्त आइंदा न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा गम्भीर आरोप नहीं है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड की सजा का प्रावधान हो। विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की।

3— इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

4— प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं सम्बन्धित विधि को विचार में लेते हुए न्यायालय पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

5— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में दिनांक 28.01.2026 से अभियुक्त शाकिर अली वर—जमानत गैर हाजिर रहा है, जिस समय उसका बीमार हो जाने के कारण अनुपस्थित होना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त शाकिर अली ने आज स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है, जिससे उसकी इरादतन अनुपस्थिति प्रकट नहीं होती है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत आवेदन में न्यायालय में अनुपस्थिति के संबंध में दर्शाये गए कारणों को ध्यान में रखते हुए उसे इस शर्त पर जमानत पर छोडा जाना उचित प्रतीत होता है कि वह आइंदा विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

6— परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त शाकिर अली की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि वह इस न्यायालय की संतुष्टि अनुसार 30 हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका इस शर्त के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करादे कि वह आइंदा न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से व्यक्तिशः प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहेगा तो उसे नियमानुसार जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

7— आदेश आज **दिनांक 10.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण टेलर)
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
बारां (राज0)

PRAMENDRA KUMAR GOYAL
sr. munshrim"Authenticated Document"
Digitally signed by PRAMENDRA KUMAR GOYAL
Date: 2026.03.13 15:50:23 +0530